REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2022

घरेलू हिंसा का पारम्परिक स्वरूप एवं दहेज हिंसा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मदन कुमार प्रजापति[1] , डॉ. श्रीनिवास मिश्र[2]
[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2] प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

सारांश –

हिंसा तो हिंसा है, चाहे यह घरेलू हिंसा हो अथवा किसी अन्य प्रकार की। महात्मा गांधी का मानना था कि हिंसा ही सामाजिक अन्याय का मूल कारण है। भय और हिंसा ही सामाजिक अन्याय की पृष्ठभूमि निर्मित कर उसे दृढ़ बनाते है। हिंसा करने वाला अत्याचारी अन्यायी होता है, किन्तु जो अन्याय और अत्याचार से डरता है, वह भी मानसिक हिंसा का दोषी होता है। अतः अन्यायी के अन्याय को सहन करने वाला उतना ही दोषी है जितना कि अन्यायी। अन्याय के भय से भयाकांत व्यक्ति किसी भी सीमा तक गिर कर अन्याय सहन कर सकता है। अतः अन्यायपूर्ण हिंसा के विरूद्ध प्रतिकार करना ही मनुष्य का अभीष्ट है, किन्तु ध्यान रहे कि यह प्रतिकार हिंसक दुष्प्रवृत्ति से न होकर अहिंसक सद्प्रवृत्ति से हो, क्योंकि हिंसा का बदला तो हिंसा ही होगी। इससे हिंसा और भय दोनों में वृद्धि होगी तथा अन्यायपूर्ण परिस्थिति और भी सुदृढ़ होगी।

मुख्य शब्द – हिंसा, घरेलू हिंसा, महात्मा गांधी, सामाजिक अन्याय एवं दहेज हिंसा।

प्रस्तावना –

किसी भी समाज के आबादी का निर्माण स्त्री एवं पुरूष दोनों के मिलने से होता है और इन दोनों के मिलने (विवाह) से ही जैविक पुनरोत्पादन की प्रक्रिया चलती है। इसके बावजूद भी इन दोनों की सामाजिक–पारिवारिक प्रस्थिति समान नहीं है। वैदिक काल को छोड़कर शेष सभी काल में स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता रहा है। इस तरह के बर्ताव के पीछे भारतीय समाज की प्रमुख कड़ी पितृसत्ता, जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन सबका आधार वैदिक परम्पराओं एवं मनुस्मृति में मिलता हैं। भारत में स्त्रियों की स्थिति आज भी आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर नही है और आज भी भारतीय स्त्रियों का समाजिक जीवन तीज त्योहार, धर्म, प्रथा और परम्परा से घिरा हुआ है। उन पर अनेक समाजिक बंदिशें लगी हुई है, फलतः सामाजिक विधानों से लाभ उठाने के विषय में समाज का एक बहुत बड़ा भाग उदासीन बना रहता है। स्त्रियों की इस उदासीनता का प्रभाव यह होता है कि उनके पास किये गये विधान उन्हीं को प्रभावित करने में असफल होते है। विवाह, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में विधानों के द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं, उनमें से बहुत कम स्त्रियां लाभ उठा पाती हैं।

घरेलू हिंसा का सबसे वीभत्स स्वरूप दहेज हिंसा का है। दहेज, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित करता है। इसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्ष तमाम रिश्तेदार से संबंधित होते हैं। यह घरेलू हिंसा की द्विपक्षीय प्रक्रिया है। दहेज हिंसा की अंतिम शिकार तो पीड़ित स्त्री ही होती है, लेकिन अनेक बार और अनेक स्थितियों में दोनों वैवाहिक पक्षों से संबंधित रिश्तेदारों–संबंधियों को भी मौत के घाट उतार देने के प्रकरण सामने आते रहते हैं। स्त्री को तो अनेक प्रकार की यातनाओं का शिकार होना ही पड़ता है और अंत में मौत को भी गले लगाना होता है। इस हिंसा में पति के अतिरिक्त सास–ससुर, देवर–जेठ, देवरानी–जिठानी, ननद सभी सम्मिलित होते है। कभी एक या दूसरा संबंधी भी हो सकता है। श्री विजय गंभीर ने अपने शोध में पाया कि अधिकांश दहेज उत्पीड़ित महिलाएं अपने साथ दुर्व्यवहार के लिए मुख्यतः पति व सास को दोषी बताती है। अन्यों में क्रमशः ससुर, ननद, देवर, जेठ व जिठानी की सहभागिता पाई गई। यहां तक कि एकाकी परिवारों में अलग रहते हुए भी सास और अन्य परिवार की महिला सदस्यों द्वारा यदा–कदा उत्पीड़िन के लिए पति को उकसा कर दहेज प्रताड़ना में सहभागी पाई गई।

विश्लेषण –

भारतीय समाज में दहेज के कारण ही बाल विवाहों, बेमेल विवाहों का प्रचलन बढ़ा है। बालिका शिशु वध की पुरानी प्रथा का स्थान नए संदर्भ में लिंग निर्धारण परीक्षण के द्वारा यह पता लगाने कि गर्भस्थ शिशु का लिंग क्या है, इस का प्रचलन बढ़ गया है। इस परीक्षण से यदि यह पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु महिला है तो गर्भपात कराकर उसका अंत कर दिया जाता है। यह भ्रूण हत्या का आधुनिक तरीका शहरों में तो आम प्रचलन जैसा होता जा रहा है। ग्रामों में भी इसका विस्तार हुआ है। कितनी ही कुआरी लड़कियों के विवाह दहेज की समस्या के कारण नहीं हो पा रहे, और तो और लड़कियों को शिक्षित, विशेष तौर से उच्च शिक्षित होने की समस्या भी आ खड़ी हुई है। शिक्षा और दहेज में सह–संबंध है, जैसे–जैसे शिक्षा बढ़ती है लड़की की योग्यता और क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसमें होना तो यह चाहिए कि उच्च शिक्षित गुण संपन्न कन्या का विवाह में दहेज की माँग नहीं होनी चाहिए लेकिन हो उल्टा रहा है लड़की को अधिक पढ़ानें और उसके समकक्ष वर को तलाश करने में जितनी शिक्षित लड़की होती है, उतनी ही दहेज की मांग भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि शहरों में बहुत बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित भले ही वह कार्य और रोजगार में भी लगी हो, अविवाहित दिखाई देने लगी है। बड़े–बड़े व्यवसायी, उच्च वर्ग के शिक्षित, वैज्ञानिक को भी दहेज समस्या दिखाई देने लगती है और जब लेना होता है तो लड़के की शिक्षा–दीक्षा, योग्यता और पारिवारिक स्तर, प्रतिष्ठा, इत्यादि के अनुरूप दहेज के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं और तो और, शिक्षित युवतियाँ भी इसमें पीछे नहीं है। धीरे–धीरे ऐसी सोच बढ़ रही है कि पिता की संपत्ति में से अथवा थोड़ा बहुत कर्ज लेकर भी यदि विवाह में दहेज मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? नया घर बसानें में आसानी रहेगी।

भारत में घरेलू हिंसा केवल आज की समस्या नहीं है, बल्कि इसका आधार सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रहा है। उत्तर वैदिक युग के बाद मध्यकाल की तमाम कुरीतियों, रीति–रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों ने जिस पुरूष प्रधान व्यवस्था का जन्म दिया उसी में लिंगगत भेदभाव, असमानता, दहेज, बाल विवाह, वैधव्य, सती प्रथा जैसी अनेक अमर्यादित विसंगतीपूर्ण, अन्यायकारी दशाओं को बढ़ावा दिया गया था। इन्हें ऐसा सृदृढ़ बनाया गया जैसे कि यह दैवीय विधान हो। कालांतर में युग परिवर्तन का भी इन पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि कुछ एक नए कारणों ने इनकी नींव और अधिक मजबूत बना दी है। घरेलू हिंसा का सबसे वीभत्स स्वरूप दहेज हिंसा का है। दहेज, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित करता है। इसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्ष तमाम रिश्तेदार तो संबंधित होते है। यह घरेलू हिंसा की द्विपक्षीय प्रक्रिया है। दहेज हिंसा की अंतिम शिकार तो पीड़ित स्त्री ही होती है। लेकिन अनेक बार और अनेक स्थितियों में दोनों वैवाहिक पक्षों से संबंधित रिश्तेदारें–संबंधियों को भी मौत के घाट उतार देने के प्रकरण सामने आते रहते हैं। स्त्री को तो अनेक प्रकार की यातनाओं का शिकार होना ही पड़ता है और अंत में मौत को भी गले लगाना होता है। इस हिंसा में पति के अतिरिक्त सास–ससुर, देवर–जेठ, देवरानी–जिठानी, ननद सभी सम्मिलित होते है। कारण कभी एक या दूसरा संबंधी हो सकता है। श्री विजय गंभीर ने अपने शोध में पाया कि, अधिकांश दहेज उत्पीड़ित महिलाएँ अपने साथ दुर्व्यवहार के लिए मुख्यतः पति व सास को दोषी बताती हैं। अन्यों में क्रमशः ससुर, ननद, देवर, जेठ व जिठानी की सहभागिता पाई गई। यहां तक कि एकाकी परिवारों में अलग रहते हुए भी सास और अन्य

परिवार की महिला सदस्या यदा–कदा उत्पीड़ित के लिए पति को उकसा कर दहेज प्रताड़ना में सहभागी पाई गई।

पहले के समय में माता–पिता अपनी पुत्रियों की शादी में जरूरी घरेलू चीजें दिया करते थे। कई परिवार कुछ सोना और चाँदी भी देते थे। यह उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जाता था। परंतु धीरे–धीरे यह एक रिवाज हो गया। अब दूल्हे का परिवार जो माँगता है, उसे दुल्हन के परिवार को देना पड़ता है चाहे उनको उसके लिए किसी से कर्जा लेना पड़ जाये या अपना घर गिरवी रखना पढ जाए। उन्हें किसी भी हाल में उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें इसके लिए उधार धन या कर्ज का सहारा लेने पर मजबूर कर देते हैं।

दहेज प्रथा कानून –

दहेज प्रणाली भारतीय समाज में सबसे क्रूरता सामाजिक प्रणालियों में से एक है। इसने कई तरह के मुद्दों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, लड़की को लावारिस छोड़ना, लड़की के परिवार में वित्तीय समस्याएं, पैसे कमाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करना, बहू का भावनात्मक और शारीरिक शोषण आदि सामाजिक पाप को जन्म दिया है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कानून बनाए हैं।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 –

दहेज की बढ़ती समस्या को देख तथा दहेज के खिलाफ रोकथाम करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से दहेज देने और लेने की निगरानी करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेन–देन की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा में कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना या दहेज की राशि के आधार पर शामिल है। दहेज की मांग दंडनीय है। दहेज की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करने पर भी 6 महीने का कारावास और 15,000/– रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 –

देश में बढ़ती घरेलू हिंसा को देखते हुए तथा महिला सुरक्षा पर ध्यान के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। देश में कई परिवार ऐसे है जहाँ महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। महिलाओं के साथ अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग को पूरा करने के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। यह महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है और घरेलु हिंसा के खिलाफ लड़ना सिखाता है। शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन सहित सभी प्रकार के दुरुपयोग इस कानून के तहत दंडनीय हैं।

दहेज प्रथा का निवारण –

सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानूनों के बावजूद दहेज प्रणाली की अभी भी समाज में एक मजबूत पकड़ है और आये दिन कई महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए देश के हर व्यक्ति को अपना सोच बदलना होगा। हर व्यक्ति को इसके खिलाफ लड़ने के लिए महिला को जागरूक करना होगा। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा इसके खिलाफ लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए यहां कुछ समाधान दिए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

उचित शिक्षा –

दहेज–प्रथा, जाति भेदभाव और बाल श्रम जैसे सामाजिक प्रथाओं के लिए शिक्षा का अभाव मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। देश में शिक्षा के कमी के होने के कारण आज देश में दहेज प्रथा जैसे क्रूरता सामाजिक प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को ऐसे विश्वास प्रणालियों से छुटकारा पाने के लिए तार्किक और उचित सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे प्रथा समाप्त हो सके।

महिला सशक्तीकरण –

अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित दूल्हे की तलाश में और बेटी की शादी में अपनी सारी बचत का निवेश करने के बजाए लोगों को अपनी बेटी की शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहिए और उसे स्वयं खुद पर निर्भर करना चाहिए। अगर कोई महिला शादी से पहले काम करती है और उसे आगे भी काम करने की इच्छा है तो उसे अपने विवाह के बाद भी काम करना जारी रखना चाहिए और ससुराल वालों के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के प्रति झुकने की बजाए अपने कार्य पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों, और वे किस तरह खुद को दुरुपयोग से बचाने के लिए इनका उपयोग कर सकती हैं, से अवगत कराया जाना चाहिए।

लैंगिक समानता –

हमारे समाज में मूल रूप से मौजूद लिंग असमानता दहेज प्रणाली के मुख्य कारणों में से एक है। बच्चों को बाल उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में सिखाना चाहिए। बहुत कम उम्र से बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि दोनों, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार हैं और कोई भी एक–दूसरे से बेहतर या कम नहीं हैं। युवाओं को दहेज–प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता–पिता से यह कहना चाहिए कि वे दहेज स्वीकार नहीं करें।

महिलाओं द्वारा यह पूछने पर कि क्या वे दहेज प्रताड़ना हिंसा का सामना कर चुकी हैं, तो उन्होंने बताया कि–

सारणी क्रमांक – 1

महिलाओं द्वारा दहेज प्रताड़ना हिंसा का सामना करने संबंधी मत

क्र.	मत	मतों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	169	56.33
2.	नहीं	131	43.67
	योग	**300**	**100**

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

दहेज प्रताड़ना हिंसा का सामना करने संबंधित प्रश्न पर 56.33 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे इस का सामना कर चुकी हैं एवं 43.67 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार या तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया या फिर उन्हे इस प्रकार की घटना का सामना नहीं किया है।

दहेज प्रताड़ना का शिकार होने वाली विवाहित महिलाओं अर्थात लगभग 56.33 प्रतिशत महिलाओं सर्वाधिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सदस्य की भी जानकारी दी जो कि इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक–2

दहेज के लिए सर्वाधिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सदस्य संबंधी मत

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	पति	37	21.89
2.	सास	43	25.44
3.	ससुर	27	15.98
4.	जेठ	14	8.28
5.	देवर	8	4.73
6.	जेठानी	5	2.96
7.	ननद	28	16.57
8.	अन्य	7	4.15
	योग	**169**	**100**

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

उपर्युक्त सारणी के अध्ययन से जानकारी मिलती है कि दहेज के लिए सर्वाधिक रूप से सास द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जो कि प्राप्त मतों में से 25.44 प्रतिशत मतों के अनुसार बताया गया है। सास के पश्चात् श्रेणी में दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले सदस्य के लिए दूसरे स्थान पर पति को मत प्राप्त हुए हैं जो कि 21.89 प्रतिशत हैं। तीसरे स्थान पर ननद है जो कि दहेज के लिए सर्वाधिक रूप से प्रताड़ित करती है जिसे 16.57 प्रतिशत मतों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। इनके पश्चात् ससुर, जेठ, देवर, जेठानी एवं अन्य भी ऐसे हैं जिनके द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और जिन्हें क्रमशः 15.98, 8.28, 4.73, 296, 4.15 प्रतिशत मतों के द्वारा बताया गया है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः भारतीय समाज में विवाह से संबंधित समस्याओं में दहेज की समस्या प्रमुख है। इससे विवाह का क्षेत्र बहुत संकुचित और सीमित तो हो ही रहा है, साथ ही अन्य अनेक जटिलताएं भी बढ़ी है। दहेज की व्यवस्था करने में भ्रष्टाचार, अनैतिक समाज विरोधी कार्यों में वृद्धि हो रही है। कम दहेज लाने पर वधुओं को ससुराल में सताया जाता है। यहां तक कि जिंदा जला दिया जाता है। विवाह से संबंधित दोनों परिवारों में मनमुटाव और कटुता बढ़ती है।

संदर्भ –

1. वीना गर्ग – भारतीय महिलाएँ : एक विश्लेषण, आर्या पब्लिकेशन, दिल्ली, संस्करण 2011
2. सी.एन. अग्रवाल – भारतीय नारी के स्वभाव के आयाम, इण्डियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, संस्करण 2000
3. सुधारानी श्रीवास्तव – भारत में मानवाधिकार की अवधारणा, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, संस्करण 2003
4. कमलेश गुप्ता – महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर, संस्करण 2005
5. एम.ए. अंसारी – राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, संस्करण 2000